

परिशिष्ट-37

प्रश्न सं. [ क. 3509 ]

27/12/2017



**कार्यालय वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना (म.प्र.)**

Office - 07732 - 252016, 250011, E-mail - dfotspanna@mp.gov.in, dfsouth@rediffmail.com

क्रमांक/व्यय/2017-18/ 7842

पन्ना दिनांक 30/12/2017

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी  
पवई

विषय :- ग्राम वन समिति विपतपुरा का गठन बावत।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2626 दिनांक 06.12.2017.

—00—

संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम वन समिति विपतपुरा का गठन कर समिति को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण बरौहा रकवा 238.36 हे. क्षेत्र आवंटित कर प्रस्ताव पंजीयन हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संबंध में जारी पुनरीक्षित संकल्प 22 अक्टूबर 2001 की कण्डिका क्रमांक 4 के प्रावधानानुसार निम्न शर्तें दी गई हैं -

4.1 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु ईको विकास समितियां गठित की जाएंगी, जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां इन क्षेत्रों में पहले से गठित हैं, उन्हें भी ईको विकास समिति कहा जाएगा।

4.2 अनुच्छेद 4.1 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर सघन वनों में वनखण्ड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा।

4.3 अनुच्छेद 4.1 तथा 4.2 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखण्ड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा।

इस प्रकार मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2001 से पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र बरौहा तीनों प्रकार की समितियों के पंजीयन हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2001 की कण्डिका क्रमांक 7.1 के प्रावधान अनुसार क्षेत्र चयन उपयुक्त न होने के कारण गठन निरस्त किया जाता है।

वन मण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

पन्ना दिनांक 30/12/2017

क्रमांक/व्यय/2017-18/ 7843

प्रतिनिधि :

उप वनमण्डलाधिकारी पवई की ओर आपके पत्र क्रमांक 2697 दिनांक 06.12.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

अनुभाग अधिकारी, दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग (शाखा-2)  
मंत्रालय, भोपाल